

के.यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone -Fax No-01372-252149

Email-dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:-

4395

/ 121

गोपेश्वर,

दिनांक 24/02/2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है०(पूर्व में 4.72 है०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :-

आपके कार्यालय का पत्रांक 1567/FP/UK/ROAD/21220/2016, दिनांक 30/12/2022।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में आपके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार के कार्यालय को प्रेषित अनुपालन आख्या के शर्त संख्या 5(क)- के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के प्रत्यावर्तन हेतु आगणित धनराशि के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में इस कार्यालय द्वारा हुयी टंकण त्रुटि के कारण 3.3025 है० वनभूमि के स्थान पर 3.3015 है० वनभूमि हेतु एन०पी०वी० का आगणन प्रस्तावक विभाग को प्रेषित किया गया था, जिस कारण प्रस्तावक विभाग द्वारा रू० 27,89,768.00 जमा किया गया था, जबकि वास्तव में प्रस्तावक विभाग द्वारा रू० 27,90,613.00 की धनराशि को कैम्पा कोष में जमा किया जाना था। उक्त क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 3601/12-1, दिनांक 11/01/2023 द्वारा प्रस्तावक विभाग को रू० 27,90,613.00-27,89,768.00= रू० 845.00 मात्र को कैम्पा कोष में जमा करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा रू० 845.00 मात्र कैम्पा कोष में जमा कर आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।(चालान की छायाप्रति संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण की विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या

4395 / 121 दिनांकित

प्रतिलिपि:-

निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अधिशाली अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग(पी०एम०जी०एस०वाई०), खण्ड कर्णप्रयाग को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अभिमन्यु)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
खण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 1126 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2020-21,
सेवा में,

दिनांक 12/01/2024,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्ष०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६ /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 109, दिनांक 30.05.2020 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ र हैतु निम्न प्रकार पुनः तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु है।

क्र० सं०-	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को साँपे जाने के बाद ही वनभूमि साँपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 हे० अवनत् वनभूमि मल्ला चांदपुर II क०न० 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
ख	कम से कम पचास प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10-वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में LA नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ० सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 53/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि रु० 48,14,405.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि० 27.05.2020 द्वारा Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

क्रमशः.....2

2463 (J.E.T.)

(2)

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेयें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरक्षण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षातेपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्याय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी/विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित गतें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।

(3)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त आपके कार्यालय पत्रांक 3601/12-1, गोपेश्वर दिनांक 11.01.2023 द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर संशोधित एनपीवी0 जमा किये जाने हेतु इस खण्ड को प्रेषित माँग जिसमें की सैद्धान्तिक स्वीकृति में आरोपित शर्त संख्या 05 (क) के अनुसार उक्त प्रस्ताव के सहित 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य $3.3025 \times 845000.00 = 27,90,613.00$ कराई जानी थी, किन्तु टंकण त्रुटिवंश उक्त धनराशि 3.3015 है0 पर ऑफ़लिट होकर रू0 27,89,768.00 मात्र $(3.3015 \times 845000.00 = 27,89,768.00)$ वनविभाग के खाते में जमा की गई है। उक्त त्रुटि के कारण रू0 845.00 मात्र $(27,90613.00 - 2789768.00 = 845.00)$ कम धनराशि वन विभाग के खाते में जमा होने के सम्बन्ध में लिखा गया है। अवगत कराना है, कि मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 के पत्रांक 1795/ आई 03-01/यू0आर0आर0डी0ए0/2023, दिनांक 12.12.2023 द्वारा उक्त राशि RTGS के माध्यम से खाता संख्या-150896121220362, Union Bank of India, Mission Road, Bengaluru में जमा की जा चुकी है (पत्र संलग्न)।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्या/

संशोधित एनपीवी0 जमा करने सम्बन्धी पत्र।

भवदीय

अधिशाली अभियन्ता,

ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाइ0

डी0डू0 कर्णप्रयाग।

“प्रमाण पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में बकरियावैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।



अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
खण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaraprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 147 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2021-22,
सेवा में,

दिनांक 02/05/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग हेतु 3.3025 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सचन्ध में (FP/UK/ROAD/21220/2016)।

सन्दर्भ:- 1:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६ /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 13.03.2020
2:-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के पत्रांक 2103/FP/UK/ROAD/21220/2016, दिनांक 08.02.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है, कि भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 109, दिनांक 30.05.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है। जिसकी पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अवगत कराना है, कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६ /70/2019/एफ०सी०/2383, दिनांक 26.02.2021 द्वारा वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र तथा रु० 20,24,637.00 की संशोधित वृक्षारोपण योजना उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र (संलग्न है) एवं रु० 2024637.00 मात्र की संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है, कि उक्तानुसार वर्तमान दर की प्रतिलिपि एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना आंगणन अपने स्तर से अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव नोडल स्तर से विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित किया जा सकें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण योजना के वर्तमान दर की प्रतिलिपि पत्र एवं संशोधित वृक्षारोपण योजना का आंगणन।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड।
- 2:- अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि० गोपेश्वर (मु०गौचर)।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykarandprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 109 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2020-21,
सेवा में,

दिनांक 30 /05/2020,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.3025 है० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (से०का०) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०6 /70/2019/एफ०सी०/2912, दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में आधारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार तीन प्रतियों में आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 है० अवनत वनभूमि मल्ला चांदपुर II के०न० 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
ख	कम से कम पचास प्रतिशत "ओक" प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से होना है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या: 202/1995 में LA नम्बर 556, दि० 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी०, दिनांक 03.10.2006 एवं 53/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 48,14,405.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि० 27.05.2020 द्वारा Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (आयाप्रति संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 06 के अनुपालन में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम कृषकों का कटान/पातन किया जायेगा। उक्त मार्ग के संरक्षण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रवचन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित जमा किये जायेंगे।	शर्त मान्य है।
8	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त मान्य है।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त मान्य है।
11	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त मान्य है।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से प्रयाप्त लकड़ी/विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	शर्त मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
19	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC, दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त मान्य है।
22	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	शर्त मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

महोदय,
अधिक्षेत्र अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कुण्ठप्रयाग
38/5/2020

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में बकरियाबैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कार्यप्रयाग।

Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Proposal Details	Application No	Registration No (New)	Date of PR PRICINE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
Construction of Balucha Bend to Chandra and Nagar Road under PMGSY.	RD-0217272015097	6121120067	13 Feb 2020	EC: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 2247795/- HPP: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2247795/-	Adm CA: 0/- CATE: 0/- Addl PA: 0/- C.A.S: 2326372/-	0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-	0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by Fiscal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Credit) Challan Generated On : 05 May 2020 Transaction Date : 27 May 2020	119 May 2020 Corporation Bank NEFT/RTGS (Credit) 05 May 2020 27 May 2020 Generated Online
Construction of Third Kharif Season Road, from 15 to Gurnahal Road under PMGSY in Phase-III	RD-0217272015015	6127732015	17 Dec 2019	EC: 1118511/- PCA: 0/- Safety Zone: 1542151/- HPP: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 2660662/-	Adm CA: 0/- CATE: 0/- Addl PA: 0/- Other Charges: 0/-	0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-	0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by Fiscal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Credit) Challan Generated On : 15 Jan 2020 Transaction Date : 30 Jan 2020	15 Jan 2020 Corporation Bank NEFT/RTGS (Credit) 15 Jan 2020 30 Jan 2020 Generated Online

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax NO-0197252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्राक:- 316/12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 16-07-2020

सेवा में,

अधिराष्टी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई, प्रत्यण्ड कर्नाप्रयाग।

विषय:- जनपद घमोली के में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बकरिया टण्ड से छिमटा लिङ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3015 हे0 (पूर्व में 4.72 हे0) वन भूमि का गैर पानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यूएसी0पी0/06/70/2019/एफ0 सी0 /2912 दिनांक 13-03-2020 महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत करना है कि भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार जना की जानी है:-

क्रस0	जितने धनराशि जना की जानी है।	क्षेत्रफल(हे0 म)	दर प्रति हे0	कुल धनराशि (रु0 में)
1	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण	66050 हे0	3,06,531.00	20,24,637.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व .5)	33015 हे0	845000.00	27,89,768.00

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे, ताकि प्रकरण में पधारोद्य विधिगत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

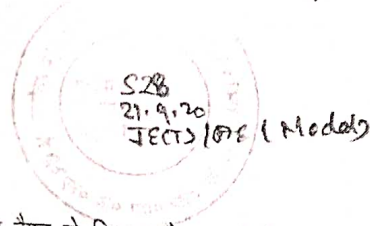
कार्यालय प्रभगीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 1093 / 12-1 गोपेश्वर,

दिनांक 2-9-2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।



विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-16 के अन्तर्गत वकरिया बैण्ड से छिमटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 है0 वन भूमि व ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 8वी/यू0सी0 पी0/05/70/2019/एफ0सी0/2912 दिनांक 13.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है:-

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण	-
क	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 66050 है0 अवनत वनभूमि मल्लाचादपुर II क0स0 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त मान्य है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के नाननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में LANम्बर 556, दि0 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5.3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 7 से 10 वर्षों तक रखरखाव एवं एन0पी0बी0 की देय धनराशि मु0 48,14,405 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से दि0 27.05.2020 द्वारा Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003 में जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अनिश्चित राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0बी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई एन0पी0बी0 की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विशयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1093 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग पी0एम0जी0एस0वाई कर्णप्रयाग को उनके पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

JB(T)/AES(M-01)

15/11/2020

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/७०/२०१९/एफ०सी०/२११२

दिनांक: 13/03/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे० (पूर्व में 4.72 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 452/x-4-19/1(40)/2019 दिनांक 20.06.2019
महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/21220/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार - जनपद- चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बकरिया बैण्ड से छिमटा लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.3025 हे० (पूर्व में 4.72 हे०) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 6.6050 हे० अवनत वन भूमि मल्ला चांदपुर II क.न. 4 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
ख) कम से कम पचास प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.3025 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 846 including 288 saplings पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्य पर्यवेक्षण में कटेगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
 7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
 8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
 9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 11. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र / वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
 12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
 17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
 18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
 19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
 20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
 21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
 22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
 23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफओसीओ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 85-राजपुर रोड, देहरादून।
 पत्रांक-972/3-5-2 दिनांक: 21, नवम्बर, 2017
 सेवा में,
 समस्त क्षेत्रीय प्रशासकीय वनाधिकारी,
 उत्तराखण्ड।

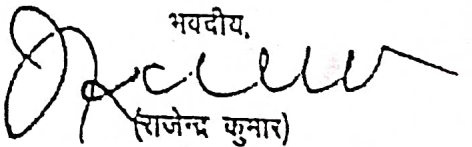
विषय:- वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष देय धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।
 संदर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-596/3-5-2 दिनांक 19-08-2015.
 महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा गैर यानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जानी वाली वन भूमि के एवज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की शर्त लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक लाईन के नीचे गौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण 1.00 हे० से कम के प्रकरणों में रिक्त पड़े स्थानों पर द्विचक्र वृक्षारोपण एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण तथा उससे 10 वर्षों तक रख-रखाव एवं नलया निस्तारण स्थलों के उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगाई जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या-एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1929 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरो का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दरो में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्राविधान भी था।

2- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, गौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, मोटर मार्गों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण एवं रिक्त पड़े स्थानों पर 100 वृक्षों के वृक्षारोपण की दरे वसूली वर्ष 2017-18 तक निर्धारित की गयी है। अतः वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-2021 तक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक: 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार निम्न प्रकार पुनः निर्धारण किया जाता है:-

वित्तीय वर्ष	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति हे० (रु० में)	गौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे० (रु० में)	रोड साइड वृक्षारोपण की प्रति कि०मी०। (रु० में)	रिक्त पड़े स्थानों/100 वृक्षों का वृक्षा० (रु० में)
2018-19	2,78,665.00	2,78,665.00	4,17,827.00	1100.00 प्रति वृक्ष
2019-20	3,06,531.00	3,06,531.00	4,59,610.00	1210.00 प्रति वृक्ष
2020-21	3,37,184.00	3,37,184.00	5,05,571.00	1331.00 प्रति वृक्ष

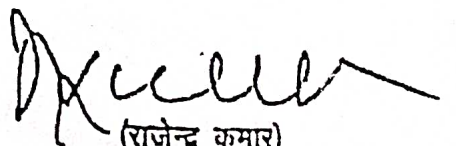
अतः उपरोक्त तालिका के वित्तीय वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी से धनराशि जमा करायी जाय, परन्तु यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्त उल्लिखित वित्तीय वर्ष में निर्धारित दरों के अनुसार धनराशि जमा करायी जा चुकी हो, तो उनसे बकाया धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

 (राजेन्द्र कुमार)
 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

संख्या-972/3-5-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल/कुमाऊँ/शियालिक जोग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।


 (राजेन्द्र कुमार)
 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या - 49/3-5-2 देहरादून दिनांक 06-07-2013

सेवा में,

संगरत क्षेत्रीय प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय-वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के सम्बन्ध में धनराशियों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

संदर्भ- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड की पत्र संख्या 09/3-5-2 दिनांक 06-07-2013

महोदय,

वन भूमि पर प्रस्तावित विभिन्न विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों में वन सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर वाणिज्यीकरण हेतु प्रस्तावित की जायेगी। इन प्रकरणों के एकज में समतुल्य गैर वन भूमि अथवा दूगने अतन्त वन भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की शर्त लगायी जाती है। इसके अतिरिक्त पारोपण लाईन के नीचे बानी प्रजातियों के वृक्षा के रोपण, वन भूमि पर प्रस्तावित विकास कार्यों के अंतर्गत ओर पथ वृक्षारोपण, 100 हे० से कम के प्रकरणों में आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण एवं पारोपण होने वाले वृक्षों की 10 गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं उरक 10 वर्षी तक रख रखाव एवं पालना निर्यात का उपचार हेतु उचित वृक्षारोपण आदि की शर्त लगायी जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एल-642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान भी था।

2- प्रायः देखा जा रहा है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण, पारोपण लाईन के नीचे बानी प्रजातियों के वृक्षारोपण 100 गुनी के रोपण एवं प्रभावित वृक्षों के 10 गुनी संख्या में वृक्षों के रोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करायी जायेगी कोष नई दिल्ली में जमा करायी जाती है, जो कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों की समय में वृक्षारोपण कार्यों के लिए प्राप्त नहीं होती है। प्रभागीय वनाधिकारियों के द्वारा उक्त कार्य हेतु नसीब, अग्रिम वृद्ध कार्य आदि का प्रबंधन तथा वृक्षारोपण कार्य लगभग तीन वर्ष के बाद होता है, जब तक क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की लागत बढ़ जाती है। इस कारण क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कार्य करने में कठिनाई होती है।

3- यद्यपि रोपण दरे स्थल विशेष होती है तथापि दरों में एक समता की मध्य नजर रखते हुए प्रयोक्ता एजेंसी को तीन वर्ष के वन की सम्बन्धित दरों पर धनराशि वसूल किया जाना उचित है। अतः वर्ष 2013 के निर्धारित धनराशि शारनादेश दिनांक 30-11-1989 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में निम्न प्रकार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण दरों का पुनः निर्धारण किया जाता है :-

वसूली वर्ष	रोपण वर्ष	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति हे०।	बौनी प्रजाति का वृक्षारोपण प्रति हे०।	रोड साइड वृक्षारोपण प्रति कि०मी०।	रिक्त पड़े स्थानों/ 100 वृक्षों का वृक्षारोपण। (रु० में)
—	2013-14	1,30,000.00	1,30,000.00	200,000.00	निर्धारण नहीं
—	2014-15	1,43,000.00	1,43,000.00	2,20,000.00	निर्धारण नहीं
—	2015-16	1,57,300.00	1,57,300.00	2,42,000.00	1000.00 प्रति वृक्ष
—	2016-17	1,73,030.00	1,73,030.00	2,66,200.00	1000.00 प्रति वृक्ष
—	2017-18	1,90,333.00	1,90,333.00	2,92,820.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2015-16	2018-19	2,09,366.00	2,09,366.00	3,22,102.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2016-17	2019-20	2,30,302.00	2,30,302.00	3,45,312.00	1000.00 प्रति वृक्ष
2017-18	2020-21	2,53,332.00	2,53,332.00	3,79,843.00	1000.00 प्रति वृक्ष

अतः उपरोक्त तालिका के अनुसार वसूली वर्ष के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से धनराशि जमा करायी जायेगी परन्तु पूर्व में यदि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा धनराशि जमा करायी जा चुकी हो तो उनसे वसूलित धनराशि वसूल करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(श्रीकान्त चन्दोला)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड